






न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवान:- सुखजीत सिंह बनाम अमनदीप आदि

अन्तर्गत धारा 88,53, आर.टी.ए. वाद संख्या 462/2025

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
125	<p>वादी की तरफ से जरिये अधिवक्ता न्यायालय में वाद-पत्र अंतर्गत धारा,53,88 आर.टी.ए. पेश किया। वाद पत्र में सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। मुताबिक सरिस्ता रिपोर्ट वाद पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88, आर.टी.ए. के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (सुबिनारायण आर ए एल) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी </p>	
16/10/25	<p>पत्रावली पेशी में की गई PO साहब वाहक पत्रों में अकारण पर है/ अकारण पत्रों में अकारण है होने के कारण पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
28/11/25	<p>पत्रावली पेशी में की गई PO साहब वाहक पत्रों में अकारण पर है/ अकारण पत्रों में अकारण है होने के कारण पत्रावली दिनांक 12/12/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
12/12/25	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित वार कार्यस्थान/कर्मचारी इडताल पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/1/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
5/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता गरीब वारी स्थान उपस्थित नहीं। वाद-वाद आवान सप्तमी गरीब उपस्थित नहीं। होने पर पत्रावली अधिवक्ता गरीब हाजरी में खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	